



क्रमांक/अकादमिक/विकास/सम्बद्धता/215/2017

छतरपुर दिनांक 12/06/17

**अधिसूचना**

मां शारदा महाविद्यालय पन्ना रोड छतरपुर (म0प्र0) को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 29 (Xii) एवं 28 (1) (V) एवं धारा 35 (i) के अंतर्गत सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान की गई है।  
महाविद्यालय द्वारा सत्र 2016-17 के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निरंतरता एवं निरीक्षण शुल्क जमा करने के फलस्वरूप परिणियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत सत्र 2016-17 की निरंतरता मान्य करते हुये सत्र 2017-18 के लिए मां शारदा महाविद्यालय पन्ना रोड छतरपुर (म0प्र0) को विषय बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये सशर्त निरंतरता निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

| क्र० | पाठ्यक्रम का नाम | आरंभ होने का वर्ष | स्वीकृत सीट संख्या | रिमांक |
|------|------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 01   | बी.एड.           | 2015              | 50                 |        |

शर्त :-

1. महाविद्यालय को परिणियम 27 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति एवं पालन प्रतिवेदन एक माह के अंदर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. कोड-28 के तहत चयनित प्राचार्य/शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जिसमें परिणियम 28 के अनुसार वेतनमान का भी स्पष्ट लेख हो, जारी कर नियुक्ति पत्रों की प्रति विश्वविद्यालय में तत्काल प्रस्तुत करना होगा। चयनित शिक्षकों एवं महाविद्यालय के बीच किये गये अनुबंध की प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार इंडोमेन्ट फंड की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रमाण 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यदि शेष राशि जमा करना हो, तो 01 माह के अन्दर राशि जमा करना होगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण कराये जाने पर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष परिणियम 27 एवं परिणियम 28 के प्रावधानों के अनुरूप पालन प्रतिवेदन के रूप में सम्पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

छतरपुर दिनांक 12/06/17

पृ क्रमांक/अकादमिक/विकास/सम्बद्धता/215/2017

तिलिपि:-

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन भोपाल
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग सागर
3. प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर जिला छतरपुर
4. प्राचार्य मां शारदा महाविद्यालय पन्ना रोड छतरपुर (म0प्र0)
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छतरपुर
6. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छतरपुर
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं संबंधित महाविद्यालय को ईमेल से प्रेषित करने हेतु।
8. मूल नस्ती हेतु।

कुलसचिव